

2022 का विधेयक संख्यांक 93

[दि क्रिमिनल प्रोसीजर (आईडेंटिफिकेशन) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022

दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्धदोष
और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने
और अभिलेखों का परिरक्षण करने और
उससे संबद्ध और आनुषांगिक
विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम,
2022 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा नियत करें ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) “मजिस्ट्रेट” से,—

(i) किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, महानगर मजिस्ट्रेट ;

(ii) किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ;

या

(iii) किसी को अच्छे व्यवहार या शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश देने के संबंध में, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ;

(ख) “माप” के अंतर्गत अंगुलि-चिह्न, हथेली-छाप चिह्न, पद-छाप चिह्न, फोटो, पुतली और दृष्टिपटल स्कैन, शारीरिक या जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर, लिखावट या कोई अन्य जांच, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 या धारा 53क में निर्दिष्ट हैं, सम्मिलित हैं;

(ग) “पुलिस अधिकारी” से किसी पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी या प्रधान कांस्टेबल की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ङ) “कारागार अधिकारी” से किसी कारागार का प्रधान वार्डन की पंक्ति से अन्यून अधिकारी अभिप्रेत है ।

(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका उन संहिताओं में हैं ।

माप लेना ।

3. कोई व्यक्ति जो,—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोषी है ; या

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 117 के अधीन उक्त संहिता की धारा 107 या धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 के अधीन किसी कार्यवाही के लिए अपने अच्छे व्यवहार के लिए या शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश दिया गया है ; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है या किसी निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है,

यदि अपेक्षित हों, किसी पुलिस अधिकारी या किसी कारागार अधिकारी द्वारा अपना माप ऐसी रीति में लेना अनुज्ञात करेगा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए :

परंतु कोई व्यक्ति जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध (सिवाय किसी महिला या बालक के विरुद्ध किए गए किसी अपराध या सात वर्ष से अन्यून की किसी अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए) के लिए गिरफ्तार किया गया है, इस धारा के उपबंधों के अधीन उसके जैविक नमूनों को लिया जाना अनुज्ञात करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

4. (1) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के निवारण, पता लगाने, अन्वेषण करने और अभियोजन के हित में,—

(क) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या किन्हीं अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों से माप के अभिलेखों का संग्रह ;

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर माप के अभिलेखों का भंडारण, परिरक्षण और नष्ट करना;

(ग) ऐसे अभिलेखों को सुसंगत अपराध और अपराधी अभिलेखों के साथ प्रोसेस; और

(घ) किसी विधि प्रवर्तन अभिकरण के साथ ऐसे अभिलेखों को साझा और प्रसार,

ऐसी रीति में कर सकेगा, जो विहित की जाए ।

(2) माप के अभिलेखों को ऐसे माप का संग्रहण करने की तारीख से पचहत्तर वर्ष की कालावधि के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिकी रूप में प्रतिधारित किया जाएगा :

परंतु कोई व्यक्ति जिसे पूर्व में किसी विधि के अधीन किसी भी अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है, जिसके माप इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लिए गए थे, जिसे सभी विधिक उपचारों को समाप्त करने के पश्चात्, विचारण के बिना किसी न्यायालय द्वारा उन्मोचित कर दिया जाता है या दोषमुक्त करार दिया जाता है तो इस प्रकार दिए गए माप के सभी अभिलेखों को, जब तक कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए अन्यथा निदेश न दिया जाए, अभिलेखों से नष्ट कर दिया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन किसी समुचित अधिकरण को उनके संबंधित क्षेत्राधिकारों में मापमानों का संग्रहण करने, परिरक्षण करने और साझा करने के लिए अधिसूचित कर सकेंगे ।

5. जहां मजिस्ट्रेट का दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्वेषण करने या कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए समाधान हो जाता है तो किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन माप देने के लिए निदेश देना समीचीन है तो वह किसी व्यक्ति को माप देने के लिए निदेश दे सकेगा, मजिस्ट्रेट इस निमित्त एक आदेश करेगा और उस दशा में व्यक्ति जिससे आदेश संबंधित है, ऐसे निदेशों के अनुरूप माप लेना अनुज्ञात करेगा ।

6. (1) यदि कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम के अधीन माप देना अनुज्ञात करना अपेक्षित है, ऐसे मापमानों को लेने का प्रतिरोध करता है या इंकार करता है तो पुलिस अधिकारी या कारागार अधिकारी से ऐसे मापमानों को, ऐसी रीति में लेना, जो विहित की जाए, विधिपूर्वक होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन माप लेने को अनुज्ञात करने का प्रतिरोध करना या इंकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अधीन एक अपराध समझा जाएगा ।

7. किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या कोई अन्य कार्यवाही नहीं होगी ।

माप का संग्रहण, भंडारण परिरक्षण तथा अभिलेखों का भंडारण, साझा करना, प्रसार, नष्ट और निपटान करना ।

मजिस्ट्रेट की किसी व्यक्ति को माप देने के लिए निदेश देने की शक्ति ।

माप लेना अनुज्ञात करने का प्रतिरोध ।

वाद का वर्जन करना ।

5

10

15

20

25

1974 का 2

30

35

1860 का 45

40

नियम बनाने की शक्ति ।

8. (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेंगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 के अधीन माप लेने की रीति ;

(ख) मापमानों के संग्रहण, भंडारण, परिरक्षण की रीति और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों के साझा करने, प्रसार करने, नष्ट करने और निपटान करने की रीति ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन माप लेने की रीति ;

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में उपबंध किया जाना है ।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभावी हो जाएगी । किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् राज्य विधान मंडल, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है, के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसा विधान मंडल, एक सदन से मिलकर बना है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

9. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

10. (1) बंदी शनाख्त अधिनियम, 1920 का निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही या किए जाने के लिए आशयित कोई, जिसके अंतर्गत कोई नियम, विनियम या की गई कोई कार्यवाही, बनाया गया कोई नियम या दिया गया कोई निदेश या अधिरोपित कोई शास्ति या जुर्माना, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

(3) उपधारा (2) में वर्णित विशिष्ट विषय निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने के संबंध में प्रतिकूल अभिनिर्धारित या प्रभावित करने वाले नहीं समझे जाएंगे । 1897 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बंदी पहचान अधिनियम, 1920 सिद्धदोष और अन्य व्यक्तियों का मापमान और फोटो लेने को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में प्रयुक्त “मापमान” पद सिद्धदोष और असिद्धदोष व्यक्तियों के सीमित प्रवर्ग का अंगुल छाप और पाद प्रिंट छाप लेने के लिए तथा किसी मजिस्ट्रेट के आदेश पर फोटो लेने के लिए अनुमति देने तक सीमित है।

2. विकसित देशों में प्रयोग किए जा रहे नए “मापमान” तकनीक विश्वसनीय और भरोसेमंद परिणाम दे रहे हैं और संपूर्ण विश्व में मान्यताप्राप्त है। यह अधिनियम इनके शारीरिक मापमान लेने के लिए उपबंध नहीं करता है, क्योंकि बहुत सी तकनीक और प्रौद्योगिकी उस समय विकसित नहीं हुई थी। अतः, यह विद्यमान सीमित मापमानों के स्थान पर समुचित शारीरिक मापमान को लेने और रिकार्ड करने के लिए आधुनिक तकनीकों के लिए उपबंधों का बनाना आवश्यक है।

3. उक्त अधिनियम, अपने वर्तमान प्ररूप में, व्यक्तियों के सीमित प्रवर्ग तक पहुंच का उपबंध करता है, जिनका शारीरिक मापमान लिया जा सकता है। यह ऐसे “व्यक्तियों के क्षेत्र” का विस्तार करने के लिए आवश्यक समझा गया है, जिनका मापमान लिया जा सकता है, जो पर्याप्त विधिक ग्राह्य साक्ष्य को एकत्र करने वाली अन्वेषण अभिकरणों की सहायता करेगा और अभियुक्त व्यक्ति के अपराध को स्थापित करेगा।

4. अतः, “मापमान” की परिधि और क्षेत्र के विस्तार के लिए आवश्यक है जो विधि के उपबंधों के अधीन लिया जा सकता है जो किसी अपराध में सम्मिलित किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान में सहायता करेगा और दांडिक मामले का समाधान करने में अन्वेषण अभिकरणों की सहायता करेगा।

5. दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 ऐसे व्यक्तियों का समुचित शारीरिक मापमान लेने के लिए विधिक शास्ति का उपबंध करता है जो ऐसे मापमानों को देने के लिए अपेक्षित हैं और अपराध के अन्वेषण को अधिक दक्ष और शीघ्रकारी बनाएगा तथा बढ़ती दोषसिद्धि दर में भी सहायता करेगा।

6. उक्त विधेयक, अन्य बातों के साथ :—

(i) “मापमान” को परिभाषित करने के लिए, जिसके अंतर्गत अंगुल छाप, हथेली प्रिंट छाप, पाद प्रिंट छाप, फोटो, पुतली और दृष्टि पटल स्कैन, शारीरिक, जैविक नमूने और उनका विश्लेषण इत्यादि सम्मिलित है ;

(ii) भारतीय राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो को मापमानों का संग्रहण, भंडारण, परिरक्षण करने और अभिलेखों को साझा करने, प्रसार करने, नष्ट करने और निपटान करने के लिए सशक्त करता है ;

(iii) मापमान देने के लिए किसी व्यक्ति को निदेश देने हेतु मजिस्ट्रेट को सशक्त करता है ;

(iv) कोई व्यक्ति, जो मापमान लेने का प्रतिरोध करते हैं या इंकार करते हैं, पुलिस या कारागार अधिकारी को सशक्त करता है।

7. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली ;
23 मार्च, 2022

अमित शाह

प्रत्यायोजित विधान के बारे में जापन

विधेयक का खंड 3, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मापमान लेने की रीति को नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 4, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा मापमानों का संग्रहण, भंडारण और परिरक्षण करने तथा अभिलेख को साझा करने, उसका प्रसार करने, उसको नष्ट करने और उसका निपटान करने की रीति को नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ।

3. विधेयक का खंड 6, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों के मापमानों को लेने की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो ऐसे मापमानों को देने का प्रतिरोध करते हैं या उससे इंकार करते हैं ।

4. विधेयक का खंड 8, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को किसी ऐसे अन्य विषय पर नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, जो विहित किए जाएं या जिसके संबंध में कोई उपबंध किया जाए ।

5. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, जैसे ही यह बनाए जाते हैं या जारी किए जाते हैं, संसद् के प्रत्येक सदन और राज्य विधान-मंडल के समक्ष अतिशीघ्र रखे जाएंगे ।

6. वे विषय जिनके संबंध में उपरोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, ब्यौरे का विषय है और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।